

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-350

cm. 30

DOPT- 100

CPB. 220

सं. 8] No. 8] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2004/पौष 17, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2004/PAUSA 17, 1925

प्रार्ध जिया

रा० वि० एकक

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जून, 2003

(सं. फेमा 91/2003-आर बी)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 10(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 12/2000—आर बी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ख) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

(1)

2. विनियमावली में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2000 में विनियम 3 और 4 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"3.भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई सामान्य बीमा पालिसी को लेने या धारित करने की अनुमति

- (i) भारत के निवासी व्यक्ति भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई सामान्य बीमा पालिसी को लेना अथवा धारित करना जारी रख सकता है, बशर्ते कि वह पालिसी केंद्र सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुमित से धारित की गई हो।
- (ii) भारत के निवासी व्यक्ति, जब वह भारत के बाहर का निवासी था, भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई भी सामान्य बीमा पालिसी धारित करना जारी रख सकता है।

बशर्ते कि सामान्य बीमा पालिसी पर देय प्रीमियम का भारत के बाहर प्रेषण द्वारा भुगतान करने पर, पालिसी धारक परिपक्वता आय अथवा पालिसी पर देय किसी भी दावे की राशि को सामान्य बैंकिंग चैनल के जिरए उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के अविध के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित करेगा।

4. भारत के बाहर बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए जीवन बीमा पालिसी को लेने अथवा धारित करने के लिए अनुमति

- (i) भारत के निवासी व्यक्ति भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई जीवन बीमा पालिसी को लेना अथवा धारित करना जारी रख सकता है, बशर्ते कि वह पालिसी रिजर्व बैंक के विशिष्ट या सामान्य अनुमित से धारित की गई हो।
- (ii) भारत के निवासी व्यक्ति, जब वह भारत के बाहर का निवासी था, भारत के बाहर के बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई भी जीवन बीमा पालिसी धारित करना जारी रख सकता है।

बशर्ते कि जीवन बीमा पालिसी पर देय प्रीमियम का भारत के बाहर प्रेषण द्वारा भुगतान करने पर, पालिसी धारक परिपक्वता आय अथवा पालिसी पर देय किसी भी दावे की राशि को सामान्य बैंकिंग चैनल के जिरए उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के अविध के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित करेगा।"

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II] के.जे. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Exchange Control Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th June, 2003

(No. FEMA 91/2003-RB)

Foreign Exchange Management (Insurance) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conterred by Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA. 12/2000-RB, dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Insurance) Regulations, 2000, namely:

1. Short Title and Commencement:

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Insurance) (Amendment) Regulations, 2003.
- (b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Insurance) Regulations, 2000, Regulations 3 and 4 shall be substituted by the following Regulations, namely:-

- "3. Permission to take or hold a general insurance policy issued by an insurer outside India
- (i) A person resident in India may take or continue to hold a general insurance policy issued by an insurer outside India, provided that, the policy is held, under a specific or general permission of the Central Government.
- (ii) A person resident in India may continue to hold any general insurance policy issued by an insurer outside India when such person was resident outside India.

Provided further that where the premium due on a general insurance policy has been paid by making remittance from India, the policy holder shall repatriate to India through normal banking channels, the maturity proceeds or amount of any claim due on the policy, within a period of seven days from the receipt thereof.

- 4. Permission to take or hold a life insurance policy issued by an insurer outside India
- (i) A person resident in India may take or continue to hold a life insurance policy issued by an insurer outside India, provided that, the policy is held, under a specific or general permission of the Reserve Bank of India.
- (ii) A person resident in India may continue to hold any life insurance policy issued by an insurer outside India when such person was resident outside India.

Provided further that where the premium due on a life insurance policy has been paid by making remittance from India, the policy holder shall repatriate to India through normal banking channels, the maturity proceeds or amount of any claim due on the policy, within a period of seven days from the receipt thereof.

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

K.J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 7 जून, 2003

(सं. फेमा 92/2003-आर बी)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता)(चौथा संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 11(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000—आर बी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (चौथा संशोधन) विनियमावली 2003 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा पबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000 की अनुसूची में पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (1) की सारणी में मद संख्या 2 की संख्या "70" के स्थान पर संख्या "100" प्रतिस्थापित किया जाए।

> [सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-[[] के.जे. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th June, 2003

(No. FEMA 92/2003-RB)

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a Person Resident in India) (Fourth Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 11(E).—In exercise of powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 10/2000-RB dated May 3, 2000, Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 namely:

1. Short title and commencement :-

- i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Fourth Amendment) Regulations, 2003.
- ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, in the Schedule, in paragraph 1, in sub-paragraph (1) in the table, in item 2, for the figure "70", the figure "100" shall be substituted.

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

K.J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 1 जनवरी, 2004

(सं. फेमा 108/2004-आर बी)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 12(अ).—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000—आर बी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्निलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2.विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, अनुसूची 2,

- (i) पैराग्राफ़ 1 में,
 - (क) उप पैराग्राफ़ 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैराग्राफ़ प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः ;
 - "(1) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं (2) उप पैराग्राफ़ (1) के अंतर्गत शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खरीद जाएंगे।
- (ii) उप पैराग्राफ़ 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैराग्राफ़ प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः ;
- " कोई पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद व विक्री से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान कारोबार के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा में निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा खाता और/अथवा अनिवासी रुपया खाता खोल सकता है:
 - i) खाते में राशि सामान्य बैंकिंग चैनल द्वारा आवक विप्रेषण अथवा स्टॉक एक्सचेंज में विक्रय किए गए शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के विक्रय आगमों (कर के बाद) को जमा करके जुटाई जाएगी ।
 - ii) इस योजना के पैराग्राफ 1 में किए गए प्रावधानों के अनुसार इस खाते की निधि का उपयोग शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए या फिर भारत से बाहर विप्रेषण के लिए किया जाएगा।
 - iii) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के विदेशी मुद्रा खाता की निधि को उसी विदेशी संस्थागत निवेशक के अनिवासी रुपए खाता में अंतरित किया जा सकता है और यह अंतरण विपरीत दिशा में भी किया जा सकता है।"

(iii) पैराग्राफ़ 4 में

(क) उप पैराग्राफ़ (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैराग्राफ़ प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :

"किसी देशी परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी या संविभाग प्रबंधक जो किसी उप-खाते की निधियों के प्रबंधन हेतु विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में सेबी में पंजीकृत हो उक्त योजना के अधीन निम्नलिखित की ओर से निवेश कर सकता है:

- i) भारत से बाहर का निवासी कोई विदेशी नागरिक, या
- ii) भारत से बाहर पंजीकृत कोई कंपनी निकाय ;

बशर्ते कि ऐसा निवेश सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत के बाहर जुटाई गई अथवा इकत्रित की गई अथवा लाई गई निधियों में से किया जाए "

- (ख) उप पैराग्राफ़ (2) निकाल दिया जाएगा;
- (ग) उप पैराग्राफ़ (3) को उप पैराग्राफ़ (2) क्रमांकित किया जाएगा।

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II] उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January, 2004

(No. FEMA 108/2004-RB)

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (First Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 12(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Figst Amendment) Regulations, 2004
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2.Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, in Schedule 2.

- (i) In paragraph 1
 - (a) For sub- paragraphs 1 and 2, the following sub- paragraphs shall be substituted, namely:
- "(1) A registered Foreign Institutional Investor (FII) may purchase the shares and convertible debentures of an Indian company under Portfolio Investment Scheme.
- (2) The purchase of shares /convertible debentures under sub-paragraph (1) shall be made through registered broker on recognized stock exchange in India.
 - (ii) For paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:
- " A registered Foreign Institutional Investor may open a Foreign Currency Account and/or a Special Non-Resident Rupee Account with a designated branch of an authorized dealer for routing the receipt and payment for transaction relating to purchase and sale of shares/convertible debentures under this Scheme, subject to the following conditions:
 - (i) The Account shall be funded by inward remittance through normal banking channels or by credit of sale proceeds (net of taxes) of the shares/convertible debentures sold on stock exchange.

(ii) The funds in the account shall be utilized for purchase of shares convertible debentures in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Scheme or for remittance outside India.

- (iii) The funds from Foreign Currency Account of the registered FII may be transferred to Special Non-Resident Rupee account of the same FII and vice-versa."
- (iii) In paragraph 4,
 - (a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:

"A domestic asset management company or portfolio manager, who is registered with SEBI as a foreign institutional investor for managing the fund of a sub-account may make investment under the Scheme on behalf of

- (i) a person resident outside India who is a citizen of a foreign state, or
- (ii) a body corporate registered outside India;

Provided such investment is made out of funds raised or collected or brought from outside through normal banking channel."

(b) sub-paragraph (2) shall be deleted.

(c) sub-paragraph (3) shall be re-numbered as sub-paragraph(2).

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

USHA THORAT, Executive Director

अधिसूचना

भुम्बई, 1 जनवरी, 2004

(सं. फेमा 109/2004-आर बी)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 13(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000-आर बी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (प्रभूम संशोधन) विनियमावली, 200 भूकलाएगी।
- (ख) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

- क) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली 2000, में विनियम 5, के उप विनियम (1) में उप खंड (घ) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा;
- क) "(ङ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए अनुमत किसी जीवन बीमा कंपनी से जीवन बीमा पॉलिसी की विदेशी मुद्रा में भुगतान की गई दावा/ परिपक्वता/ अभ्यर्पण के रूप में प्राप्त आय।"
- ख) (i) विनियम 5अ के उप विनियम (1) में उप खंड (1) "भारत में निवासी व्यक्ति" शब्दों के बाद "निवासी व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।
 - (ii) विनियम 5अ के उप विनियम (1) में उप खंड (छ) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा ;
 - "(ज) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए अनुमत किसी जीवन बीमा कंपनी से जीवन बीमा पॉलिसी की विदेशी मुद्रा में भुगतान की गई दावा/ परिपक्वता/ अभ्यर्पण के रूप में अर्जन द्वारा प्राप्त आय।"

59 GI/04-3

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-∏]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January, 2004

(No. FEMA 109/2004-RB)

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (First Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 10/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2000 namely:—

1. Short title and commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (First Amendment) Regulations, 2004
- (b) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Foreign currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2000,

- a) In Regulation 5, in sub-regulation (1), after sub-clause (d) the following shall be added namely:
 - "(e) received as the proceeds of life insurance policy claims/maturity/ surrender values settled in foreign currency from an insurance company in India permitted to undertake life insurance business by the insurance Regulatory and Development Authority."
- b) (i) In Regulation 5A, in sub-regulation (1), the words " A person resident in India" may be substituted by the words "A resident Individual".
 - (ii) In Regulation 5A, in sub-regulation (1) after sub-clause (g) the following shall be added namely:
 - "(h) by way of earnings received as the proceeds of life insurance policy claims/maturity/surrender values settled in foreign currency from an insurance company in India permitted to undertake life insurance business by the Insurance Regulatory and Development Authority."

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

USHA THORAT, Executive Director